कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

(वन भवन, एच.आई.जी. 36, अशोक विहार कालोनी फेज–1, पहड़िया, वाराणसी–221007)
दूरभाष/फैक्स– 0542 2585574 ई–मेल dfovrns@yahoo.in

पत्रांक– 3084 /29–1 दिनांक, वाराणसी, मार्च, 04 ,2023।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि,
वाराणसी।

1588/9C
10-03-2023

4/3/23
6:00 pm

विषयः– जनपद वाराणसी में पाण्डेयपुर चौराहा से रिंग रोड आजमगढ़ मार्ग के चैनेज संख्या–0.000 से 4.100 तक 04 लेन मार्ग के चौड़ीकरण एवं शुद्रीकरण कार्य में प्रभावित 4.1525 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 262 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– 1– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/290/2022/एफ.सी./700 दिनांक 25.11.2022।
2– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ का पत्रांक–1834/11–सी दिनांक 28.11.2022।
3– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/290/2022/एफ.सी./914 दिनांक 24.02.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र कमांक–(1) के द्वारा विभिन्न शर्तो के साथ भारत सरकार द्वारा विषयगत मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 4.1525 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 262 वृक्षों के पातन के अनुमति विभिन्न शर्तो के साथ प्रदान की गयी है।

सन्दर्भित पत्र कमांक–(1) में दिये गये शर्तो के अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की गयी थी। भारत सरकार के द्वारा सन्दर्भित पत्र कमांक–(3) के द्वारा सन्दर्भित पत्र कमांक–(1) के बिन्दु संख्या–(9) की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। बिन्दु संख्या–(9) में भारत सरकार के द्वारा सड़क पटरी के किनारें वृक्षारोपण प्रयोक्ता एजेन्सी के लागत पर कराये जाने के निर्देश है। विषयगत मार्ग चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण अन्य मार्गो के किनारें 500 ब्रिकगार्ड पटरी वृक्षारोपण का प्राक्कलन तैयार कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है। कि **रुपये 3339000.00 रु0 तैंतीस लाख उनतालीस हजार मात्र)** धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा परिवेश पोर्टल के माध्यम से कैम्पा निधी में स्थानान्तरित/जमा करवाते हुए ई–चालान की प्रति अनुपालन आख्या सहित इस कार्यालय में शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित करने की कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय

Sk

प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

4/3/23

संख्या– /सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2– वन संरक्षक वाराणसी वृत्त, वाराणसी।

प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

जनपद वाराणसी में पाण्डेयपुर चौराहा से रिंगरोड आजमगढ़ मार्ग के चैनेज 0.000 से 4.10 तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य में चौड़ीकरण के उपरान्त मार्ग पटरी वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण नीचे अंकित प्रस्तावित मार्ग पर पटरी वृक्षारोपण हेतु ब्रिकगार्ड वृक्षारोपण का प्राक्कलनः–

वृक्षारोपण स्थल का विवरणः-

क0सं0	स्थल / मार्ग का नाम	ब्रिकगार्ड वृक्षारोपण की सख्या	वृक्षारोपण पर व्यय होने वाली धनराशि	वृक्षारोपण के प्रथम अनुरक्षण से दशम अनुरक्षण तक व्यय होन वाली धनराशि	कुल योग
1	वाराणसी से आजमगढ़ मार्ग रिंगरोड (16 से 20 कि.मी. तक) दोनो पटरी।	500	1643500.00	1695500.00	3339000.00
	योगः–	**500**	**1643500.00**	**1695500.00**	**3339000.00**

क्षेत्रीय वन अधिकारी
काशी रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी/ वन प्रभाग, वाराणसी।